	को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा (सिरोही)
9.1.18	~~पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। आज [illegible] ड्यूटी में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 6.2.18 को पेश हो।~~
6-2-18	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः पत्रावली आइन्दा वास्ते दस्तावेज पेश करने व बहस हेतु दिनांक 20-3-18 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
20-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः पत्रावली आइन्दा वास्ते दस्तावेज पेश करने व बहस हेतु दिनांक 25.6.18 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
25-6-2018 [illegible]	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान। शिविर केम्प कोर्ट भीमाना में प्रस्तुत हुई। श्री मफतलाल पुत्र सुजाराम निवासी उड़वारिया ने दिनांक 17-11-2016 को धारा 136 LR Act में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जिसे दिनांक 25-11-2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी ने निवेदन

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्योंकि मौजा उड़वारिया, पटवार हल्का भीमाना
के खाता सं. 111, 216, 256 में खातेदार की
प्रविष्टि में मफतलाल चौधरी के बजाय सेवनवंश मेरा
गलत नाम पदमाराम अंकित कर दिया गया है।
प्रार्थी का सही नाम मफतलाल चौधरी है।
राजस्वकर्मियों द्वारा पदमाराम नाम अंकित कर
दिया है। मेरे समस्त दस्तावेज यथा राशन
कार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय
पत्र आदि में भी मफतलाल ही दर्ज है। अत:
श्रीमान कृपया कर उक्त खाते में प्रार्थी का
त्रुटिवंश गलत हुए नाम को जरिये दुरुस्ती
कर सही नाम मफतलाल करना फरमावें।

प्रकरण में अप्रार्थीयों को नोटिस
जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6,7 व 12
ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। जिसे शामिल
मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 5, 6 व 7
ने प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र से सहमति व्यक्त
की। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है।
मैंने प्रार्थना-पत्र, उपलब्ध दस्तावेज व
अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया।
प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं
किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि राजस्व
कार्मिकों की त्रुटि से पदमाराम के नाम का
अंकन हो गया हो। न ही ऐसा कोई दस्तावेज
पेश किया है कि जिससे यह प्रमाणित हो
कि पदमाराम व मफतलाल एक ही व्यक्ति हो।

प्रार्थी दस्तावेजों से संबंधित त्रुटि
को त्रुटि प्रमाणित करने में विफल रहा है। अत:
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत पोषणीय
नहीं पाये जाने से प्रार्थी को कोई दाद दिया जाना
सम्भव नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार
किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया